

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.19(23)शिक्षा-2/2019 दिनांक-09.02.2023 की अनुपालना में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अधीनस्थ कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, डीडवाना, नागौर में संदर्भ व्यक्ति के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित निम्नांकित कार्मिक की राजस्थान सेवा नियम-1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्ति अवधि में निम्नानुसार अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक	प्रतिनियुक्ति पद	प्रतिनियुक्ति अवधि में प्रस्तावित अभिवृद्धि
1	श्री शिवराम चौधरी, व्याख्याता, राजनीति विज्ञान	संदर्भ व्यक्ति (कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, डीडवाना, नागौर)	04.03.2022 से 03.10.2023

Rajasthan Education Department



(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस्
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक-
14/03/2023

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/सी-8/प्रतिनियुक्ति (अभ्य)/2022

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- दिशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान जयपुर।
- 2- दिशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान जयपुर।
- 3- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर को अनुमोदनार्थ।
- 5- राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल जयपुर।
- 6- संबन्धित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, संभाग कार्यालय।
- 7- संबन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
- 8- संबन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 9- संबन्धित अनुभाग अधिकारी कार्यालय हाजा।
- 10- संबन्धित संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी।
- 11- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
- 12- रक्षित पत्रावली।

(संयुक्त निदेशक)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर